

**Marketing & Sales Department**

CIN- U10102MP1985GOI003160

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266605, (FAX) 266640 email: gmsales.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

No.NCL/SGR/Mktg./21-22/351

Date: 17.06.2021

**जून २०२१ के लिये एन. सी. एल. द्वारा स्पॉट ई-ऑक्सन (सड़क) के माध्यम से कोयले व रिजेक्ट की बिक्री की सूचना**  
(आयात करने वाले ग्राहक कोयले का उपयोग आयात विकल्प के रूप में कर सकते हैं)

**NOTIFICATION FOR SALE OF COAL & REJECTS BY NCL THROUGH SPOT E-AUCTION (ROAD) FOR THE MONTH OF JUNE 2021 (INCLUDING CONSUMERS/TRADERS WHO DESIRE TO TAKE COAL FOR IMPORT SUBSTITUTION)**

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, म. प्र. स्पॉट ई-ऑक्सन स्कीम २००७ के माध्यम से "कोयले व रिजेक्ट" की बिक्री का प्रस्ताव पेश करती है, जिसमें कोई भी भारतीय क्रेता (व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी इत्यादि) भाग ले सकता है और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरीये कोयला प्राप्त कर सकता है। ई-नीलामी के तहत खरीदा गया कोयला देश के भीतर और निर्यात के लिए उपयोग के लिए है। निर्यात के मामले में किसी भी कानून/ कोयले के निर्यात के संबंध में सरकारी नियम/विनियम/सांविधिक दिशानिर्देश के पालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खरीदार/निर्यातक की होगी। जून २०२१ माह के लिये ई- ऑक्सन का विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है।

Northern Coalfields Limited, Singrauli MP proposes to sell coal & rejects through Spot e-Auction Scheme – 2007 wherein any Indian Buyer (viz. individual, partnership firm, companies etc.) can participate and obtain coal through the process of electronic bidding. The coal procured under e-auction is for use within the country and for export . However in case of export the onus of complying with any law/Government rule/regulations/statutory guidelines regarding export of coal shall lie solely with the buyer/exporter.

The schedule for sale of coal for the month of June 2021, through Spot e- Auction Scheme 2007 from NCL mines is as under:

By Road/RCR Mode सड़क माध्यम से						
S. No. स. क्र.	Project/Source परियोजना/स्रोत	Quantity in tes. मात्रा (टनी)	Grade श्रेणी	Size (mm) आकार (एमएम)	Notified Price अधिसूचित मूल्य	Reserve Price आरक्षित मूल्य
1	जयंत/ Jayant	25,000	G-07	(-) 250	2321	2554
2	ब्लॉक-बी /Block-B	1,00,000	G-05	STEAM	3017	3319
3	निगाही / Nigahi	1,00,000	G-07	(-) 250	2321	2554
5	खड़िया/ Khadia	50,000	G-08	(-) 250	1767	1944
5	ककरी/ Kakri	1,00,000	G-10	(-) 250	1238	1362
6	झिगुरदा / Jhingurda	20,000	G-13	(-) 100	990	1089
7	झिगुरदा/ Jhingurda	3,600	G-10	(-) 250	1238	1362
8	बीना/ Bina	25,000	Reject		546	601
<b>Total Qty. by Road/RCR Mode</b>		<b>4,23,600</b>				

सेवा प्रदायकर्ता/ Auctioneering Agency	सर्व श्री एम-जंक्शन / M/s mJunction
दिनांक/Date	25.06.2021
समय/Time	सेवा प्रदायकर्ता द्वारा घोषित किया जाएगा /To be declared by Auctioneering Agency

**स्पॉट ई-ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये शर्त/योग्यताये निम्नवत है:-**

Pre-requisite conditions for participation in Spot e-Auction are as follows:

- पंजीयन/Registration:**  
भावी खरीददार को ई-ऑक्सन में भाग लेने के लिये स्वयं को सेवा प्रदायकर्ता जो कि सर्व श्री एमजंक्शन है से पंजीकृत होना आवश्यक है।  
Prospective Buyers can participate in e-Auction by registering themselves with the respective Auctioneering Agency i.e. M/s mJunction. Limited. For more details kindly log on to website of Service Provider i.e. www.mjunction.in



- (2) प्रभावी कर तथा अन्य टैक्स, रिजर्व मूल्य के अतिरिक्त देय होगा.  
Reserve prices are excluding levies and statutory charges as applicable.

- (3) EMD की राशी रु. २००/- (दो सौ) प्रति टन का भुगतान DD/RTGS/ECS के माध्यम से सेवा प्रदायकर्ता को ऑक्सन तिथि से एक दिन पहले तक करना होगा/  
EMD @ ₹200/- per MT on quantity of coal intended to bid by Buyer is to be deposited by way of DD/RTGS/ECS drawn in favor of respective Auctioneering Agencies at least before one day of e-auction date.

- (4) कोयले के मूल्य का भुगतान/Deposition of Coal Value:  
सफल बोलीकर्ता कोयले के मूल्य का भुगतान निम्नलिखित किसी एक एन.सी.एल. सी.एस.आर. खाते में आर.टी.जी.एस./डि.सी.एस./डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से करेगा/  
Successful Bidders shall deposit Coal value in any of the following NCL CSR accounts through Draft/RTGS/ECS/Banker's Cheque at the office of General Manager (M&S), NCL Singrauli at the following banks.

क्रमांक S.No.	बैंक का नाम Name of the Bank	शाखा Branch	आइ.एफ.एस. कोड IFS code	खाता संख्या Account No.
1	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	मोरवा Morwa	SBIN0003767	10773219417
2	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank	मोरवा Morwa	ALLA0210254	50066405613
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India	मोरवा Morwa	UBIN0539171	391701010129658
4	एक्सिस बैंक Axis Bank	मोरवा Morwa	UTIB0001725	915020064361678
5	आई सी आई सी आई बैंक ICICI Bank	मोरवा Morwa	ICIC0003529	352905000467

- (5) रेलवे के द्वारा जारी किये गये परिपत्रक संख्या CMP/1/2012 दिनांक 20.12.2011 के अनुसार प्रति रैक में कोयले की मात्रा 3894 मी.टन. होगी जो कि 66 मी.टन. के 59 बॉक्स के हिसाब से ली गयी है जबकि फाईनेन्सियल कवरेज 4120 मी.टन. प्रति रैक के हिसाब से लिया जायेगा/  
In terms of Circular no. CMP/1/2012 dated 20.12.2011 issued by Railway, Quantity per rake shall be 3894 MT i.e. 59 Box of 66 MT each. It is further may be noted that Financial coverage shall be taken at 4120 MT per rake

प्रत्येक सफल बोली के लिये फाईनेन्सियल कवरेज की राशी महाप्रबन्धक (विपणन एवं विक्रय) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी/  
All the prospective buyers may please note that the value of Financial coverage for each successful bid will be available at office of General Manager(M&S), NCL, Singrauli.

- (6) सफल बोलिकर्ता को कोयला मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस./डि.सी.एस./डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से ऑक्सन तिथि के बाद दस कार्य-दिवसों के अन्दर एन.सी.एल. में जमा कराना होगा. दिसम्बर २०२० माह में होने वाले ऑक्सन के लिये कोयला मूल्य के भुगतान की अन्तिम तिथि **07.07.2021** है, जिसके बाद किया गया कोयला मूल्य का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा/  
विगत कुछ ई.ऑक्सन के दौरान विफल हुये लेन-देन को ध्यान में रखते हुये एन.सी.एल. अपने ग्राहकों से निवेदन करता है कि ग्राहक अपने बैंक से लेन-देन के पश्चात लेन-देन की सफलता की जानकारी अवश्य लें. एन.सी.एल. किसी भी प्रकार से गलत या विफल लेन-देन का जिम्मेदार नहीं होगा/  
Successful bidder is required to deposit coal value at NCL through Draft/RTGS/ECS, within 10 (Ten) working days of NCL, Singrauli i.e last date for deposition of coal value is **07.07.2021**. Coal value will not be accepted after due date.

In view of the frequent transaction failure during last few e-auctions, customers are requested to confirm remittance of coal value with their respective banks. NCL will not be responsible for any wrong/failed transaction.

- (7) यदि कोई सफल बोलिकर्ता बैंक गारंटी के माध्यम से रेल प्रोग्राम दर्ज करना चाहता है तो  
If a successful bidder wishes to book Rail Program through BGs-

- बैंक गारंटी स्ट्रक्चर्ड फाइनांसिएल मैसेजिंग सिस्टम (एस एफ एम एस) के द्वारा जारी होनी चाहिये
- लाभार्थी बैंक/ ब्रांच आइ एफ एस सी कोड : **ICIC0003529** उल्लेखित होना चाहिये
- लाभार्थी बैंक/ ब्रांच का नाम एवं पता : **आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड सिंगरौली ब्रांच प्लॉट संख्या ८६, डाक घर के सामने, वार्ड संख्या ३, मोरवा तेहसील सिंगरौली मध्य प्रदेश ४८६८८९**, उल्लेखित होना चाहिए
  - Bank guarantee shall be issued through 'Structured Financial Messaging System' (SFMS)
  - Beneficiary bank/branch IFSC Code: ICIC0003529 should be mentioned.



- c. Beneficiary bank/branch name and address should be mentioned as: ICICI Bank Ltd. Singrauli Branch, Plot No. 86, Opp. Post office, Ward No. 3, Morwa, Tehsil Singrauli, Madhya Pradesh-486889.

यदि बैंक गारंटी आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड की किसी ब्रांच से जारी की गयी है तो निम्नलिखित को अवश्य समाविष्ट करें -

If the Bank guarantee is issued by ICICI Bank branches the following may please be incorporated:

"We shall be liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only if you serve upon us a written claim or demand on or before .....at ICICI Bank Ltd. Singrauli Branch, Plot No. 86, Opp. Post office, Ward No. 3, Morwa, Tehsil Singrauli, Madhya Pradesh-486889."

- (8) यदि कोई सफल बोलिकर्ता बैंक गारंटी के माध्यम से रेल प्रोग्राम दर्ज करता है तो आर.टी.जी.एस./इ.सी.एस./डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से कोयला मूल्य जमा करने के लिये, रेलवे को एंलॉटमेंट के लिये ऑफर देने की अपेक्षित तिथि से तीन दिन पहले नोटिस दिया जायेगा जो कि महाप्रबन्धक (विपणन एवं विक्रय) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी. सफल बोलिकर्ता को ऐसे नोटिस के जारी होने के 48 घंटे के अन्दर कोयला मूल्य जमा करके बैंक एडवाइस महाप्रबन्धक (विपणन एवं विक्रय) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय में जमा करना होगा.

In case of Bidders who have booked their rail programme through Bank Guarantee (BG), a notice for deposition of coal value by way of Demand Draft/RTGS/ECS, will be displayed on the notice board of NCL office, Singrauli, at least three working days in advance before the expected date of offer to the Railways for allotment. The bidder will be accordingly required to deposit coal value alongwith the debit advice to the tune of BG involved in the programme, within 48 hours of such notice.

- (9) नोट: ई-ऑक्सन में भाग लेने से पहले बोलीकर्ता निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें-

Note: Before taking part in NCL's Spot e-Auction, Bidders are to note that,

(अ) बोलीकर्ता बोली लगाने से पूर्व स्वयं को ई-ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले की गुणवत्ता से संतुष्ट कर ले.

They have to satisfy themselves with the quality of coal being offered from a source.

- (10) सीआईएल की दिशानिर्देश के अनुसार स्पॉट ई नीलामी के तहत अगर अधिसूचित कीमत में बदलाव होता है तो संशोधित बिड किमतों की बोली का क्रेता निम्न तरीके से भुगतान करें: -

As per the direction of CIL, under the spot e-auction the bid price shall be revised at the time of lifting of coal pursuant to any in between change (i.e., change between the period from auction date and actual lifting date) in notified price of coal on which the auction was conducted, the increase in price shall be charged and payable by the purchaser in the following manner: -

- प्रत्येक स्रोत / लॉट के लिए आरक्षित मूल्य पर नीलामी आयोजित की जाएगी।
  - Auction shall be conducted on the Floor price i.e. reserve price for each source/lot.
- बोली मूल्य बोली-प्रक्रिया की तारीख पर अधिसूचित मूल्य से ऊपर प्रतिशत प्रीमियम के रूप में व्यक्त किया जाएगा। प्रतिशत प्रीमियम विशेष स्पॉट ई-नीलामी की भारोत्तोलन अवधि के दौरान स्थिर रहेगा।
  - Bid price shall be expressed in terms of percentage premium over notified price on the date of bidding. Percentage premium will remain constant throughout lifting period of the particular spot e-auction.
- बोली मूल्य कोयले की अधिसूचित कीमत में बदलाव के साथ संशोधन के अधीन होगा। संशोधित बोली मूल्य की आपूर्ति की तारीख पर प्रचलित संशोधित अधिसूचित मूल्य पर प्रतिशत प्रीमियम जोड़कर गणना की जाएगी।
  - Bid price shall be subject to revision with the changes in notified price of coal if any. Revised bid price shall be calculated by adding percentage premium over the revised Notified Price prevailing on the date of supply.
- बोली मूल्य में परिवर्तन केवल वृद्धिशील होगा यानी केवल अधिसूचित मूल्य वृद्धिशील संशोधन पर विचार किया जाएगा। अधिसूचित मूल्य में संशोधन में कमी के मामले में, बोली लगाने की तारीख पर बोली मूल्य आपूर्ति के समय लागू होगा।
  - Change in bid price shall only be upward in nature i.e. only upward notified price revision shall be considered. In case of downward revision in notified price, the bid price at the date of bidding shall prevail at the time of supply.

- (11) कोयले के ग्रेड में परिवर्तन के मामले में कोयले की आपूर्ति जारी रखने की स्थिति में इस श्रेणी के तहत खरीदारों कोयले की ग्रेडिंग के लिए और थर्ड पार्टी सैंपलिंग के विश्लेषण के आधार पर ग्रेड में बदलाव द्वारा प्रसारित CIL के दिशा-निर्देशों CIL / SnM / Specialeauuction / 547 दिनांक 13.05.2016 के अनुसार होगा। जो NCL / CIL की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

The policy for continuing supply of coal to buyers under this auction in case of change of grade of coal pursuant to gradation of coal and change in grade based on analysis of third party sampling shall be as per the CIL guidelines circulated vide CIL/SnM/Special euction/547 dated 13.05.2016 which is also available at NCL/CIL website.

- (12) सीआईएल ने पत्र CIL/M&S/e-Auction/220 दिनांक 08.06.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि "ई-नीलामी के तहत खरीदा गया कोयला देश के भीतर और निर्यात के लिए उपयोग के लिए है। निर्यात के मामले में किसी भी कानून/ कोयले के निर्यात के संबंध में सरकारी नियम/विनियम/सांविधिक दिशानिर्देश के पालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खरीदार/निर्यातक की होगी।

CIL vide letter CIL/M&S/e-Auction/220 dated 08.06.2021 has notified that "The coal procured under e-auction is for use within the country and for export . However in case of export the onus of complying with any law/Government rule/regulations/statutory guidelines regarding export of coal shall lie solely with the buyer/exporter"

- (13) सभी बोलीकर्ता एन.सी.एल. की स्पॉट ई-ऑक्सन स्कीम-2007 के नियम एवं शर्तों से बाध्य हैं. एन.सी.एल. की स्पॉट ई-ऑक्सन स्कीम-2007 एन.सी.एल. व सेवा प्रदायकर्ता की वेबसाइट [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in) & [www.mjunction.in](http://www.mjunction.in) पर उपलब्ध है.

Apart from the above, bidders are governed by all other terms & conditions of NCL's Spot e-Auction Scheme-2007. The same is available in NCL's & Service Provider's website i.e. [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in) & [www.mjunction.in](http://www.mjunction.in).

अन्य किसी जानकारी के लिये कृपया सेवा प्रदायकर्ता से सम्पर्क करें.

For any further clarification, please contact Auctioneering Agency:

सर्व श्री एम जंक्शन / M/s mjunction : फोन नं./Phone No. +91 33 6610 6100+91 33 4409 1808, ई-मेल /E Mail address: [contactus@mjunction.in](mailto:contactus@mjunction.in)

पता/Postal address:

सर्व श्री एम जंक्शन सर्विस लिमिटेड, गोदरेज वॉटर साइड, टावर-1, तीसरी मंजिल प्लॉट संख्या ५, ब्लॉक-डीपी, सेक्टर-५, साल्ट लेक सिटी कोलकता - ७०००९१, पश्चिम बंगाल.

M/S mjunction services limited, Godrej Waterside, Tower-I, 3rd floor Plot No. 5, Block-DP, Sector-V, Salt Lake City Kolkata - 700091, WB, India

ई-ऑक्सन का विवरण सर्व श्री एम जंक्शन सर्विस लिमिटेड व एन. सी. एल. की वेबसाइट व [www.mjunction.in](http://www.mjunction.in) or & [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in) पर उपलब्ध है.


Details of e-Auction are displayed on website of Auctioneering Agency, M/S mjunction services limited 's Website [www.mjunction.in](http://www.mjunction.in). Details are also displayed on NCL website – [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in)

This auction is also intended to make available more coal to such consumer who can use it for import substitution.

कोयला आयात करने वाले ग्राहक भी इस ई – ऑक्सन के माध्यम से, कोयले का उपयोग आयात विकल्प के रूप में कर सकते हैं/

एन.सी.एल. प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये किसी भी समय ई-ऑक्सन स्कीम या इसके किसी नियम या शर्त जिसमें प्रस्तावित ऑक्सन के कोयले की मात्रा भी है को समाप्त या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

**NCL management reserves the right to withdraw e-auction scheme or change/amend any of the terms and conditions including the quantity offered, without assigning any reason thereof.**

  
एच.ओ.डी.(विपणन एवं विक्रय)  
HOD(M&S)  
एन.सी.एल. सिंगरौली  
NCL, Singrauli